

अहकाम  
हुक्म की त  
में जारी

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती डॉ. प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

प्रोसो - 132/2019

1. बंदी पिता हजारी माली उम्र वयस्क निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

उनवान

बनाम

(प्रार्थी)

1. मैरू पिता हजारी माली उम्र वयस्क निवासी चौथमाता का खेड़ा, रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. देवी मु. सोहन माली उम्र वयस्क निवासी चौथमाता का खेड़ा, रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. धन्ना पिता पन्ना माली उम्र वयस्क निवासी चौथमाता का खेड़ा, रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज. - डिलीट
4. मैरू पिता बालु माली उम्र वयस्क निवासी चौथमाता का खेड़ा, रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज. - डिलीट
5. रूपा पिता गिलु माली उम्र वयस्क निवासी चौथमाता का खेड़ा, रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
6. निजाम खां पिता सुलतान खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी लाम्बिया गेट, रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित-

श्री मुरारी जोशी .....प्रार्थी अधिवक्ता

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 10.10.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 20.06.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रायला पटवार मण्डल रायला भू.अ.नि.0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 828 के आ.न.0 2733/1, 2745/2, 2750/2, 2752, 2753/2 किता 5 रकबा 04-07 बीघा, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.06.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी क्रम 03, 04 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हें शामिल पत्रावली किये गये, अवशेष रहे विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी, पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 03, 04 का सम्मन लौटकर अदम तामील प्राप्त, जिस पर उक्त का फौत होना अंकित आया। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी क्रम 03, 04 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 03, 04 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थना प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायला पटवार मण्डल रायला भू.अ.नि.0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 828 के आ.न.0 2733/1, 2745/2, 2750/2, 2752, 2753/2 किता 5 रकबा 04-07 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रायला को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा